नियम 2017 के नियम 65 के साथ पठित उक्त अधिनियम (4) की धारा 39 की उपधारा के अधीन प्रारूप जीएसटीआर-6 में जुलाई, 2017 से अप्रैल, 2018 मास के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की समय सीमा का 31 मई, 2018 तक विस्तार करता है।

[फा.सं. 349/58/2017-जीएसटी(पार्ट)]

रुची बिष्ट, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2018

No. 19/2018 – Central Tax

G.S.R. 308 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 39 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act) and in supersession of notification No. 08/2018-Central Tax, dated the 23rd January, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 57 (E), dated the 23rd January, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Commissioner hereby extends the time limit for furnishing the return by an Input Service Distributor in FORM GSTR-6 under sub-section (4) of section 39 of the said Act read with rule 65 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, for the months of July, 2017 to April, 2018, till the 31st day of May, 2018.

[F. No.349/58/2017-GST(Pt.)]

RUCHI BISHT, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2018

सं. 20/2018 – केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 309(अ).—सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 55 के अनुसार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) के अधीन अधिसूचित संयुक्त राष्ट्र संगठन के किसी विशिष्ट अभिकरण या किसी बहुपक्षीय वित्तीय संस्था और संगठन को, विदेशों के वाणिज्यिक दूतावासों या राज दूतावासों को और किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के ऐसे वर्ग को, जिसे इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, विनिर्दिष्ट कर सकेगी (जिन्हें इस अधिसूचना में इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट व्यक्ति कहा गया है), जो ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं, उनके द्वारा प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों के अधिसूचित प्रदायों पर संदत्त कर के प्रतिदाय का दावा करने के हकदार होंगे ;

केंद्रीय सरकार ने, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 द्वारा, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 सं0 610(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 3/2017-केंद्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और जिनका अंतिम बार संशोधन सा0का0नि0 सं0 266(अ), तारीख 23 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 14/2018-केंद्रीय कर, तारीख 23 मार्च, 2018 द्वारा किया गया था, उक्त अधिनियम की धारा 55 के अधीन कर के प्रतिदाय का दावा करने के लिए शर्तें और निबंधन अधिकथित किए हैं ;